18/454/2017/617 8541/9.1.17

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
6/8/18	पत्रावली प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 से 08 एवं 10 अनुपस्थित। उन्हें कई बार आवाजें लगवाई गई, वे उपस्थित नहीं हुए। अभिभाषक प्रार्थी की प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रकरण न्यायालय हाजा में नोटिस तलवाना पेश करने हेतु विचाराधीन था जिसमे आगामी पेशी दिनांक 30.03.2017 की पेशी नियत थी। अभिभाषक प्रार्थी अन्य न्यायालयों में व्यस्त होने के कारण बरवक्त आवाजे दिलाये जाने पर उपस्थित नही हो सका, बाद में उपस्थित होने पर पता चला कि दिनांक 30.03.2017 को न्यायालय हाजा ने अपील को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज फरमा दी। प्रार्थी को यह आश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी एवं अधिवक्ता की गैरजारी जानबूझकर नही हुयी एवं अधिवक्ता की लापरवाही से प्रकरण दिनांक 30.03.2017 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है। न्याय हित में आदेश दिनांक 30.03.2017 को निरस्त किया जाकर, प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाकर मेरिट पर निर्णय पारित किया जाना न्यायसंगत हैं। अतः न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाकर, न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.03.2017 को निरस्त किया जावें एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। प्रार्थी अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार किया जाता हैं तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.03.2017 को निरस्त किया जाता हैं एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।	

Scanned by CamScanner